प्रमांक 310
तिथि 24/3/21
पत्रावली

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- / , कोटबंगला दिनांक 16 /03/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गड़थ (दिवारीखोल) से गड़थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/33094/2018)

सन्दर्भ :– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी का पत्रांक- 275/ पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/चि0सौड/ दिनांक 08.03.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गड़थ (दिवारीखोल) से गड़थ लिंक मोटर मार्ग पर 3.5975 है0 वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नवत् है।

क्र. सं.	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण:–** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.195 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उपरीकोट एवं ग्राम खुरकोट सिविल खसरा न0 722 एवं 505 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में 7.195 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उपरीकोट एवं ग्राम खुरकोट सिविल खसरा नं0 722 एवं 505 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 24,26,039.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सख्या 150896133094521 कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा कर दी गयीं है तथा वन विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक–1)।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामांतरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात	(ख) इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। उक्त सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक–3294/12–1 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को प्रेषित किया जा चुका है (संलग्नक –2)।

प्रा0प्रका0
24/3
प्रतिलिपि
AC-III

	भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है **(संलग्नक –3)** ।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्यः– (क) इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5--1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.5975 हे0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्त अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 3.5975 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु रू0 23,63,558.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सख्या 150896133094521 कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा कर दी गयी है **(संलग्नक–1)** । (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका शपथ पत्र दिया गया है, जो कि संलग्न कर प्रेषित है **(संलग्नक–4)** ।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 90 trees and 73 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
6	The State Govt. may take up wildlife management plan separately, if required, form the NPB funds deposited. Underpasses if any required in the project should be constructed by the project authority under the supervision of local DFO. No specific funds will be claimed from User Agency.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
7	State Government will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित किये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों से निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्त्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के कम में प्रमाण–पत्र दिया गया है जो कि संलग्न है **(संलग्नक–5)** ।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक सिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।

पत्रांक 3394/127 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड़ को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को अपने स्तर से ऑनलाइन अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।

कार्यालय अ...
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

पत्रांक: 368/अधि० अभि०/ पी०एम०जी०एस०वाई०/सि० ख० चि० । दिनांक 26 मार्च 2021
प्रतिलिपि सहायक अभियंता बटीम को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अनुपालन आख्या रिपोर्ट को ई-पोर्टल पर अपलोड करें।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

D:\Jay semwal\Drafts Man\Letter\Letter-3.doc

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

Tele Phone No:-01371-237093
Fax No:-01371-237093
Email ID:-
eepmgsyidchinyalisaur@rediffmail.com

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/चि0सौड/वन भूमि दिनांक 08 मार्च, 2021

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
कोटबंगला, उत्तरकाशी।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गड़थ (दिवारीखोल) से गड़थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/33094/2018)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र सं0–8बी/यू0सी0पी0/06/185/2019/एफ0सी0/1091, दिनांक 28/08/2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही हैं।

क0सं0	शर्तों/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–** **(क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.195 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उपरीकोट एवं ग्राम खूरकोट सिविल खसरा नं0 722 एवं 505 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। **(ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामांतरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। **(ग)** Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। **(घ)** वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.5975 हे0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्त अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है। (वचन बद्धता शपथ पत्र संलग्न)
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 90 trees and 73 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	मान्य है।
6	The State Govt. may take up wildlife management plan separately, if required, form the NPB funds deposited. Underpasses if any required in the project should be constructed by the project authority under the supervision of local DFO. No specific funds will be claimed from User Agency.	मान्य है।

Scanned with CamScanner

7	State Government will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित किये जायेंगे।	मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	मान्य है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों से निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	मान्य है।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	मान्य है।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	मान्य है।
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक सिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	मान्य है।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	मान्य है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	मान्य है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	मान्य है।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	मान्य है।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	मान्य है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	मान्य है।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 02–02 प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

पत्रांक 275 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/वनभूमि/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड़ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 06-10-2020

Agency Name.	PMGSY ID UTTARKASHI
Application No.	6133094521
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/185/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	ANUSHANDHAN COLONY JOSHIYARA UTTARKASHIUttarkashi
Amount(in Rs)	4789597/-

Amount In Words :Forty-Seven Lakh Eighty-Nine Thousand Five Hundred and Ninety-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896133094521 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 06-10-2020

Agency Name.	PMGSY ID UTTARKASHI
Application No.	6133094521
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/185/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	ANUSHANDHAN COLONY JOSHIYARA UTTARKASHI Uttarkashi
Amount(in Rs)	4789597/-

Amount in Words .Forty-Seven Lakh Eighty-Nine Thousand Five Hundred and Ninety-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896133094521 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Scanned with CamScanner

वचन बद्धता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गड़थ (दिवारीखोल) से गड़थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गड़थ (दिवारीखोल) से गड़थ लिंक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.875) के निर्माण के पश्चात जहां–जहां पर सम्भव हो सके, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation (पथ वृक्षारोपण) किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0
चिन्यालीसौड़।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0
चिन्यालीसौड़।

8/12/2021
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0
चिन्यालीसौड़।

Scanned with CamScanner

वचन बद्धता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गड़थ (दिवारीखोल) से गड़थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त की वचन बद्धता प्रस्तुत करती है कि यदि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल कर निर्धारित कोष में जमा कराया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0
चिन्यालीसौड़।

Scanned with CamScanner

शर्त संख्या :– 11

परियोजना का नामः–जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गड़थ (दिवारीखोल) से गड़थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 11 के अनुपालन में यदि आवश्यक होगा तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0 चिन्यालीसौड़।	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0 चिन्यालीसौड़।	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0 चिन्यालीसौड़।

Scanned with CamScanner